पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध वाद सं0.33679/2016

थाना कांड सं0.-2 वर्ष-2014, थाना-महिला थाना, जिला-बेगुसराय

==========

1. ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ ब्रजेश कुमार सिंह, पिता- श्री भगवान दास सिंह।
2. भगवान दास सिंह, पिता- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह।
3. रमाकांत सिंह, पिता- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह।
4. कुना देवी उर्फ कुन्ना देवी उर्फ कुन्नी देवी, पति भगवान दास सिंह
5. सर्वेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, पिता- भगवान दास सिंह, सभी गाँव-बेरहना, थाना-बाढ़, जिला-पटना के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. लवली कुमारी, पिता- रवींद्र प्रसाद सिंह, गांव- मुंगेरीगंज, वार्ड संख्या 32, थाना-नगर, बेगुसराय, जिला-बेगुसराय की निवासी हैं।

....विपक्षीगण

==========

उपस्थितीः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
		सुश्री सुकन्या भारती, अधिवक्ता
		श्री विजय चंद्र राय, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष/दलों के लिए	:	श्री प्रमोद कुमार पांडे, एपीपी
विपक्षी सं. 2 के लिए	:	श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता
		श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता

==========

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 - प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफ.आई.आर) को अभिखंडित करना - याचिकाकर्ता ससुराल वाले है, जो कि यह दावा कर रहे है कि वे अलग रहते है और उनका विपक्षी सं.- 2 और उसके पति के साथ दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है - याचिकाकर्ताओं के खिलाफ क्रुरता और दहेज की मॉग का आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी प्रतित होता है - क्रुरता करने और दहेज मॉगने/बढ़ाने का आरोप पति के खिलाफ दिखाई देता है - विवादित आदेश, जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है, पति को छोड़ कर, क्योंकि उसका आवेदन वापस ले लिया गया है - (पारा 12)

2023 एस.सी.सी ऑनलाईन एस.सी 1083 - निर्भर किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः 22-04-2024

संक्षिप्त तर्क के बाद, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता संख्या- 1 अर्थात ब्रजेश कुमार उर्फ ब्रजेश कुमार सिंह, जो विपक्षी संख्या-2 अर्थात लवली कुमारी के पति है, के लिए वर्तमान आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी।

2. अनुरोध की अनुमति दी गई।

3. तदनुसार, याचिकाकर्ता संख्या-1, अर्थात, ब्रजेश कुमार उर्फ ब्रजेश कुमार सिंह का आवेदन वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

4. अब, याचिकाकर्ता संख्या.-2 भगवान दास सिंह, याचिकाकर्ता सं.-3 रमाकांत सिंह, याचिकाकर्ता सं.-4 कुना देवी उर्फ कुन्ना देवी उर्फ कुन्नी देवी, और याचिकाकर्ता सं.-5 सर्वेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार के लिए वर्तमान आवेदन जीवित है।

5. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका को 2014 के बेगुसराय महिला थाना मामला संख्या- 02 में पारित दिनांकित 18.10.2014 आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगुसराय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 448,323,379,498-ए, 504 और 506/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4, जिसके बाद उपरोक्त धाराओं के तहत जांच आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. विपक्षी संख्या 2 का विधिवत प्रतिनिधित्व किया जाता है।

7. मामले के संक्षिप्त तथ्य सूचना देने वाले/विपक्षी सं.- 2 लवली कुमारी के फरदबेयान के माध्यम से बताते हैं कि उनकी शादी 09.05.2007 को गाँव-बेरहना बाढ़, पटना के बरहना बाढ़ गांव निवासी ब्रजेश कुमार सिंह के साथ हुई थी। सूचक के पिता ने 5,50,000/- रुपये नकद के साथ-साथ गहने, कपड़े, मोटरसाइकिल आदि उपहार में दिए थे। आगे आरोप है कि रुपये की मांग पूरी न होने पर सूचक को पति, देवर और पति के चाचा द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था। सूचक को विवाह से एक बेटा और एक बेटी है। यह भी आरोप है कि दिनांक 29.12.2013 को पति, ससुर और चार से पांच अन्य व्यक्ति उसके ससुराल आए और जबरन सूचक/विपक्षी सं.- 2 को उसके ससुराल ले जाने की कोशिश की, लेकिन आस-पास के लोगों ने प्रयास को विफल कर दिया।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी हैं क्योंकि वे केवल विपक्षी संख्या 2 के पति के परिवार के सदस्य/रिश्तेदार हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 अपनी मर्जी से अपने माता-पिता के घर चली गई और जब ऐसे ही एक अवसर पर याचिकाकर्ता विपक्षी संख्या 2 के माता-पिता के घर गए ताकि उसे वापस वैवाहिक घर में लाया जा सके, तो वर्तमान एफआईआर के माध्यम से झूठे आरोप लगाए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ससुराल वाले हैं और अलग-अलग रह रहे हैं और विपक्षी संख्या 2 और उसके पति के दैनिक और घरेलू मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है। यह भी बताया गया है कि दहेज की मांग बढ़ाने के आरोप याचिकाकर्ताओं के अनुसार सतही प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

9. तर्क पर विचार करते समय विद्वान अधिवक्ता ने अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1083 में रिपोर्ट किया गया है।

10. विपक्षी संख्या- 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता की सहायता से उपस्थित होकर विद्वान एपीपी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ससुराल वाले हैं और उसी घर में रह रहे हैं। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता सं.- 2 और याचिकाकर्ता सं.- 4 विपक्षी संख्या- 2 के पति के माता-पिता हैं और इसलिए वे विपक्षी संख्या 2 पर क्रूरता करने के लिए घटना के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज की मांग करने का आरोप भी उपलब्ध है।

11. अभिषेक केस (उपरोक्त) के कंडिका संख्या- 12, 13, 14, 15, 16 और 17 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:

> **"12.** धारा 482 आ.प्र.सं. के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति की रूपरेखा अच्छी तरह से परिभाषित है। **वी. रवि कुमार बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सेलम, तमिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व [(2019) 14 एससीसी 568]** में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि जहां कोई आरोपी उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग करता है, वहां उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों की सत्यता का फैसला करने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अनुचित है। **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक अपील संख्या 330/2021, दिनांक 13.04.2021 को तय]** में, इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 482 आ.प्र.सं. के तहत शक्ति के दायरे और सीमा पर विस्तार से विचार किया। यह देखा गया कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से, सावधानी के साथ और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। मामलों, ऐसे मानक को मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किए गए मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया कि एफआईआर/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, अदालत

उनमें लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच नहीं कर सकती है, लेकिन यदि न्यायालय उचित समझे, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए और अधिक विशेष रूप से, **आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1960 एससी 866) और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [(1992) सप (1) एससीसी 335]** में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, न्यायालय के पास एफआईआर/शिकायत को रद्द करने का क्षेत्राधिकार होगा।

13. वैवाहिक विवादों के बीच पति के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल की उत्पत्ति के हैं। इस स्कोर पर बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम विशेष रूप से प्रासंगिकता के कुछ फैसलों पर ध्यान दे सकते हैं। हाल ही में, **कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य [(2022) 6 एससीसी 599]** में, इस न्यायालय को एक ऐसी ही स्थिति से निपटने का अवसर मिला था जहां उच्च न्यायालय ने धारा 498 ए आईपीसी सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर निर्धारण की आवश्यकता थी वह यह था कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य सर्वव्यापी आरोप थे जिन्हें रद्द किया जा सकता था, इस न्यायालय ने पहले के फैसलों का हवाला दिया जिसमें धारा 498ए आईपीसी के दुरुपयोग और रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी वैवाहिक विवादों में पति के खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया। इस न्यायालय ने पाया कि वैवाहिक विवादों के दौरान लगाए गए सामान्य आरोपों के माध्यम से झूठे निहितार्थ, अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाते हैं, तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ़ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया कि

ससुराल वालों के खिलाफ़ स्पष्ट आरोपों के अभाव में उनके अभियोजन की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया कि एक आपराधिक मुकदमा, जो अंततः बरी हो जाता है, अभियुक्त पर गंभीर घाव देगा और इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य [(2010) 7 एससीसी 667] में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 498ए आईपीसी के तहत दायर शिकायतों में पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। यह देखा गया कि न्यायालयों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस जगह नहीं गए या शायद ही कभी गए, जहां शिकायतकर्ता रहती थी, एक पूरी तरह से अलग रंग जोड़ देंगे और ऐसे आरोपों की बहुत सावधानी और सावधानी से जांच करनी होगी।

15. इससे पहले, **नीलू चोपड़ा बनाम भारती [(2009) 10 एससीसी 184],** इस न्यायालय ने पाया कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवल वैधानिक प्रावधानों और उनकी भाषा का उल्लेख करना ही मामले का 'सबकुछ' नहीं है, क्योंकि न्यायालय के संज्ञान में प्रत्येक आरोपी द्वारा किए गए अपराध का विवरण और उस अपराध को करने में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका को लाया जाना आवश्यक है। ये टिप्पणियां भा.द.वि. की धारा 498ए से जुड़े एक वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थीं।

16. अधिक हालिया मूल **महमूद अली बनाम यूपी राज्य (आपराधिक अपील संख्या- 2341/2023, 08.08.2023 को तय)** में इस न्यायालय का निर्णय है, जो धारा 482 आ.प्र.सं. के संबंध में लागू कानूनी सिद्धांतों पर है। उसमें, यह देखा गया था कि जब कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष आता है, तो धारा 482 आ.प्र.सं. के तहत अंतर्निहित

शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके, एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या बदला लेने के गुप्त मकसद से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को ध्यान से और थोड़ा अधिक बारीकी से देखे। यह भी देखा गया कि कथित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं, यह पता लगाने के उद्देश्य से न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अतिरिक्त मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करे और यदि आवश्यक हो तो को उचित सावधानी और सतर्कता के साथ पढ़ते हुए पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे।

17. भजन लाल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने उदाहरण के तौर पर उन मामलों की व्यापक श्रेणियाँ निर्धारित की थीं जिनमें आ.प्र.सं. की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय का पैरा 102 इस प्रकार है:

'102. संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या आ.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुन: प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और

अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्रियों में लगाए गए आरोप, यदि कोई हों, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक

लगाई गई है और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।'

12. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं के मद्देनजर, जहां याचिकाकर्ता ससुराल वाले हैं और अलग रहने का दावा कर रहे हैं, उनका विपक्षी सं.- 2 और उसके पति के साथ दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है, जहां क्रूरता और दहेज की मांग का आरोप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत ही सामान्य और सर्वव्यापी प्रतीत होता है, जहां क्रूरता करने और दहेज की मांग बढ़ाने के आरोप का जोर मुख्य रूप से विपक्षी सं.- 2 के पति के खिलाफ है। तदनुसार, **अभिषेक केस (उपरोक्त)** के कंडिका संख्या 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 18.10.2014 के संज्ञान के आदेश को इसके सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ, याचिकाकर्ता संख्या 2 भगवान दास सिंह, याचिकाकर्ता संख्या 3 रमाकांत सिंह, याचिकाकर्ता संख्या 5 सर्वेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, बेगूसराय महिला थाना कांड संख्या 02/2014 में पारित आदेश, जो कि विद्वान अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूसराय द्वारा निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

13. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।